Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चित्तौड़गढ़ में सरपंच एवं ग्राम सचिव 70 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *09 जनवरी, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये **भैरूलाल सरपंच एवं दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सहनवा, पं.स. चित्तौड़गढ़, जिला परिषद चित्तौड़गढ़** को परिवादी से **70 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये गये कार्यों के बकाया करीब 7.65 लाख रुपये के बिलों को पास करवाने की एवज में आरोपीगण भैरूलाल सरपंच एवं दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सहनवा द्वारा **70 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की चित्तौड़गढ़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपीगण भैरूलाल सरपंच एवं दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सहनवा को परिवादी से **70 हजार रुपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपीगण से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।